(251)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर ,सर्किट कोर्ट रीवा

प्रकरण क्रमांक R. 5095-दो/17 (म0प्र0)

/2017

बीस रुपये TWENTY RUPEES, पाँच रुपये FIVE RUPEES, पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित / विलोपित

देवलाल दुबे पिता श्री मालिकराम दुबे निवासी ग्राम जतरी तह0 जवा जिला रीवा, म0प्र0 -- निगरानीकर्ता

ब नाम

शासन म0प्र0। -- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वृत्त डभौरा तह0 जवा जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र0 10।अ।12/2016-2017 आदेश दि0 10-8-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा0सं0 1959ई0।

आवेदक अभिभाषक श्री सुभाष शुक्ला एड. द्वारा पेश) 8-3-17
8-3-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 महोदय,
(सर्किट कोर्ट) रीवा

: प्रकरण संक्षेप में :

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम जतरी की भूमि आराजी खसरा क्रमांक 106/5 रकबा 0.344 हे0 के सीमांकन हेतु म0प्र0भू-रा0सं0 की धारा 129 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे हल्का पटवारी द्वारा सरहद्दी किसानो को सूचित किया जाकर सीमांकन किया गया व सीमा चिन्हे के रूप मे पत्थर स्थापित किए गये तथा स्थल पंचनामा ,फील्ड-बुक व प्रतिवेदन सूचना पत्र सहित सभी मौके पर तैयार किया गया सीमांकन भूमि के क्षेत्रफल 0.320हे0 पर मौके से निगरानीकर्ता का कब्जा पाया गया उसी कब्जा अनुसार फील्डबुक मे जरीब से नाप लिखा हुआ है एवं निगरानीकर्ता के कब्जा स्थल के अन्दर गोकुल पिता अंजनी कोरी साकिन देह का मकान , निस्तार कई वर्ष पूर्व से पाना लेख किया गया ,कब्जा स्थल फीलड बुक मे लाल स्याही से प्रदर्शित कर अंकित किया गया ,उक्त आराजी नं0 106 के सात बटा खण्ड खसरा अभिलेख है उसी अनुसार बटा खण्ड नक्शे मे पूर्व मे ही तर्मीम किया गया था तर्मीम किया हुआ बटा नम्बर कटा-फटा नक्शा नवीनीकरण तर्मीम उठाने मे भी समस्या आना लेख किया है, किस लाइन से किस लाइन को मिलाया जाय उक्त आराजी मे मौके पर विवाद का कारण बना है ,इसी विवाद के कारण प्रकरण की पुष्टि होना नही पाया जाता है लेखकर आवेदक/निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी न्यायालय हाजा मे समक्ष पेश की जा रही है।

देवलालदुबे

जानकारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.5095–II** / 17 जिला–रीवा

देवलाल दुवे / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	